संख्या-17/2020/845/सैंतीस-2-2020-1(72)/03टीसी

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-20 मार्च, 2020

विषय :- **गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-130/पशुधन-2/22/1/4/2019-20 एस.सी.पी., दिनांक-14.03.2020 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-78/2019/1106/सैंतीस-2-2019-1(72)/03टीसी, दिनांक-29.05.2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में अवशेष धनराशि रू0-450.00 लाख (रूपये चार करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय राज्य योजना आयोग-2 के शासनादेश दिनांक-16.12.2019 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये निर्धारित जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
4. मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में स्वीकृत धनराशि से प्रथमतः उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के तरल नत्रजन एवं सीमेन स्ट्राज के लम्बित बीजकों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
5. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
6. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/सामग्रियों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।
8. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.)-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-17/2020/845(1)/सैंतीस-2-2020- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-17/2020/845/सैंतीस-2-2020-1(72)/03टीसी, दिनांक-20 मार्च, 2020 का संलग्नक-

गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (वित्तीय वर्ष 2019-20) (कम्पोनेन्ट) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति
1	2	3
1	मेरठ	10.00
2	बागपत	2.00
3	गाजियाबाद	3.00
4	बुलन्दशहर	9.00
5	सहारनपुर	10.00
6	मुजफ्फरनगर	7.00
7	शामली	4.00
8	मुरादाबाद	5.00
9	ज्योति बा फूले नगर	0.25
10	रामपुर	2.00
11	बिजनौर	10.00
12	सम्भल	4.00
13	बरेली	5.00
14	बदायूं	5.50
15	शाहजहांपुर	5.00
16	पीलीभीत	5.00
17	अयोध्या	5.00
18	अम्बेडकर नगर	7.00
19	सुल्तानपुर	5.00
20	बाराबंकी	20.00
21	अमेठी	6.00
22	गोण्डा	7.00
23	बहराइच	5.00
24	श्रावस्ती	4.00
25	बस्ती	5.00
26	संतकबीर नगर	8.00
27	सिद्धार्थ नगर	2.00
28	गोरखपुर	15.00
29	महराजगंज	2.00
30	देवरिया	12.00
31	कुशीनगर	14.00
32	इलाहाबाद	22.00
33	कौशाम्बी	4.00
34	फतेहपुर	7.00
35	प्रतापगढ	3.50
36	झांसी	4.50
37	ललितपुर	3.00
38	जालौन	1.00
39	बांदा	1.00
40	चित्रकूट	0.40
41	हमीरपुर	5.00
42	महोबा	5.00
43	लखनऊ	8.60
44	उन्नाव	8.00
45	रायबरेली	8.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	2	3
46	**हरदोई**	15.00
47	**सीतापुर**	10.00
48	**खीरी**	8.00
49	**आजमगढ**	8.00
50	**मऊ**	1.50
51	**बलिया**	5.00
52	**जौनपुर**	5.00
53	**चन्दौली**	12.00
54	**मिर्जापुर**	5.00
55	**सोनभद्र**	5.00
56	**संतरविदास नगर**	4.50
57	**कानपुर देहात**	5.00
58	**फर्रूखाबाद**	12.00
59	**इटावा**	5.00
60	**कन्नौज**	3.00
61	**आगरा**	21.00
62	**मथुरा**	12.00
63	**मैनपुरी**	3.00
64	**फिरोजाबाद**	15.00
65	**एटा**	4.25
66	**अलीगढ़**	5.00
67	**हाथरस**	1.00
योग-		**450.00**

(रूपये चार करोड़ पचास लाख मात्र)

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।